2/7/22 — याचिका पत्र हुई। अधिवक्ता
वादी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता
प्रतिवादी उपस्थित। अधि० वादी
उपस्थित नहीं आने से अधि०
वादी को न्यायालय समय तक
मध्यांह तक रुक2 कर आगामी
तारीख दी, किन्तु कोई प्रति
निधि उपस्थित नहीं। अधि०
वादी उपस्थित नहीं अतः
अधि० वादी का वाद अ०
धारा 53, 88, 188 आ०प्र०
की अवज्ञा पैरवी। अतः
में खारिज किया जाता है।
याची की याचना निर्णीत इन्हें
की जाकर वाद आवश्यक
वही अभिलेखागार भेजी जावे।
निर्णय मुक्त न्यायालय में सुनाया
जाकर दिनांक पत्र।

(नीता कटारा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
20/07/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:45:14 IST
Reason: SelfAttested